प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंडपीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं
माननीय श्री राधेश्याम शर्मा, न्यायमूर्तिगण

रिट याचिका (सिविल) क्र. 7327/2011

वर्गो सोफ्टेक लिमिटेड

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

निर्णय हेतु विचारार्थ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा

सहमत हूँ ।

हस्ता/-
आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

निर्णय हेतु प्रकरण दिनांक 28/02/2012 को सूचीबद्ध करें ।

हस्ता/-

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंडपीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं
माननीय श्री राधेश्याम शर्मा, न्यायमूर्तिगण

रिट याचिका (सिविल) संख्या 7327/2011

याचिकाकर्ता:

वर्गो सोफ्टेक लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-24/5, सिटीएक्सएसवाईएस भवन, मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली 110 044 में स्थित है, द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि अमन सेली, आत्मज श्री योगेंद्र कृष्ण, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी डी-90, एमएमटीसी कॉलोनी, मालवीय नगर, नई दिल्ली 110017।

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, परिवहन विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, नया बस स्टैंड, पंडरी, रायपुर (छत्तीसगढ़)
3. अपर परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़, परिवहन आयुक्त कार्यालय, नया बस स्टैंड, पंडरी, रायपुर (छत्तीसगढ़)
4. स्मार्ट चिप लिमिटेड, डी-163, सेक्टर 63, नोएडा, (उत्तर प्रदेश)
5. इफेक्टिव एंटरप्राइज, 131, ई-मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत रिट याचिकाएँ)

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता की ओर से श्री आशीष श्रीवास्तव, श्री पंचम सुराना और श्री हर्ष वर्धन, अधिवक्ता।

राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 की ओर से श्री किशोर भादुड़ी, अपर महाधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 4 की ओर से श्री विवेक के. तन्खा और श्री प्रशांत जायसवाल, वरिष्ठ अधिवक्तागण, साथ में श्री डी.के. सिंह और श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

रिट याचिका (सिविल) संख्या 7327/2011

निर्णय

(28.02.2012)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा** द्वारा पारित किया गया:

(1) परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन/नियोक्ता ने अपनी प्रस्तावित सेवा वितरण परियोजना, जो स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित गतिविधियों से संबंधित थी, हेतु अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं से निविदा आमंत्रण सूचना(एनआईटी)/प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) दिनांक 11 अप्रैल, 2011 की सूचना जारी की। परियोजना के मुख्य उद्देश्य, कार्य का दायरा और अर्हता मानदंड निविदा दस्तावेजों में वर्गीकृत तरीके से निर्दिष्ट किए गए थे। अर्हता मानदंडों के खंड 10, 11 और 16 निम्नलिखित हैं:

"**10.** बोलीदाता के पास कम से कम एक राज्य के किसी विभाग को राज्यव्यापी स्तर पर भुगतान गेटवे प्रणाली के साथ एकीकृत केंद्रीकृत वेब आधारित समाधान प्रदान करने का अनुभव होना चाहिए। ग्राहक से एक संतोषजनक प्रदर्शन प्रमाण पत्र, ग्राहक के संपर्क विवरण (नाम, ग्राहक का पदनाम, पता, फोन, फैक्स नंबर आदि) के साथ बोली के साथ जमा किया जाना चाहिए।

11. बोलीदाता को डेटा केंद्रों के विकास, निर्माण और प्रबंधन का अनुभव होना चाहिए। बोलीदाता का कम से कम एक डेटा केंद्र आईएसओ 27001:2005 के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे प्रमाण पत्र का प्रमाण बोली के साथ जमा किया जाना चाहिए।

16. कंपनी ने किसी भी ई-गवर्नेंस परियोजना के तहत सुरक्षित भुगतान गेटवे समाधान (वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त एजेंसियों जैसे वेरिसाइन या समकक्ष से एसएसएल प्रमाण पत्र का उपयोग करते हुए को भारत के कम से कम एक राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ एकीकृत किया होना चाहिए। इस तरह के एकीकरण का प्रमाण बोली के साथ जमा किया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) निविदा आमंत्रण सूचना का खंड 2 सामान्य नियमों और शर्तों से संबंधित है। यह बोली जमा करने और वापस लेने; प्रस्ताव हेतु अनुरोध दस्तावेज में संशोधन; बोली के मूल्यांकन; और मूल्यांकन ढांचे से संबंधित है। मूल्यांकन ढांचे के तहत, खंड 2.1.5 मूल्यांकन अंकन प्रणाली से निम्नलिखित रीती से संबंधित है:

मानदंड	**अधिकतम अंक**
पुराने मैनुअल डेटा का लीगेसी डेटा प्रविष्टि (प्रत्येक परियोजना के लिए न्यूनतम 10 लाख डेटा प्रविष्टि) भारत में परिवहन विभाग के लिए डिजिटल प्रणाली में।	20

• 1 राज्य में डेटा प्रविष्टि हेतु 10 अंक	
एनआईसीआधारित "वाहन/सारथी" के साथ स्मार्ट कार्ड वैयक्तिकरण अनुप्रयोग के कार्यान्वयन का पूर्व अनुभव। • 1 राज्य में कार्यान्वयन हेतु 5 अंक, • 1 से अधिक राज्यों में कार्यान्वयन हेतु 10 अंक	10
भारत में परिवहन विभाग में केंद्रीकृत वेब आधारित अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन और प्रबंधन का पूर्व अनुभव। • 1 राज्य में कार्यान्वयन हेतु 10 अंक, • 1 से अधिक राज्यों में कार्यान्वयन हेतु 20 अंक	20
भारत में परिवहन विभाग में डेटा केंद्र स्थापित करने और प्रबंधित करने का पूर्व अनुभव। • 1 राज्य हेतु 10 अंक, • 1 से अधिक राज्यों हेतु 20 अंक	20
पिछले 3 वित्तीय वर्षों में टर्नओवर। • 20 से 50 करोड़ हेतु 5 अंक, • 50 करोड़ से अधिक हेतु 10 अंक	10
प्रस्तावित अनुप्रयोगों के प्रदर्शन सहित तकनीकी प्रस्तुति	20

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कुल	**100**

बोलीदाता को उपरोक्त तालिका के अनुसार न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करने होंगे ताकि वह उक्त परियोजना के लिए तकनीकी रूप से उपयुक्त घोषित हो सके और इस निविदा के तहत मूल्य प्रस्ताव के अगले दौर के लिए पात्र हो सके।

खंड 2.2 के तहत यह परिभाषित किया गया था कि तकनीकी प्रस्तावों को खोलने और मूल्यांकित करने के बाद, संक्षिप्त सूचीबद्ध विक्रेताओं की एक सूची तैयार की जाएगी। संक्षिप्त सूचीबद्ध विक्रेताओं को विभाग के समक्ष सभी आवश्यक अनुप्रयोगों के साथ एक प्रस्तुति और वास्तविक समय का पूर्ण प्रदर्शन करना आवश्यक होगा। प्रस्तुति के घटकों में परिवहन अनुप्रयोग के राष्ट्रीय मानक के अनुसार स्कोस्टा(एससीओएसटीए) स्मार्ट कार्ड का वैयक्तिकरण और मुद्रण; विक्रेता या उसके स्मार्ट कार्ड प्रौद्योगिकी भागीदार के स्मार्ट कार्ड परियोजना अनुभव का विवरण; और कार्यान्वयन योजना का विवरण शामिल होगा। यह पुन: दोहराया गया कि वित्तीय प्रस्ताव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम तकनीकी स्कोर 60 अंक है। उन बोलीदाताओं के वित्तीय प्रस्ताव नहीं खोले जाएंगे जिनका तकनीकी स्कोर 60 अंकों से कम होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) आगे प्रस्ताव मूल्यांकन से संबंधित पद्धति निर्दिष्ट करती है। इसके अंतर्गत 3 चरण निर्दिष्ट किए गए हैं। **चरण I-** प्रस्तावों के सामान्य परीक्षण (पूर्व-अर्हता का मूल्यांकन) से संबंधित है; **चरण II-**संक्षिप्त सूचीबद्ध

तकनीकी प्रस्तावों के परीक्षण (भारांक: 70%) से संबंधित है; और **चरण III-** वित्तीय बोलियों के परीक्षण (भारांक: 30%) से संबंधित है। निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) में यह स्पष्ट किया गया था कि अधिकतम अंतिम अंक (एफ) प्राप्त करने वाले बोलीदाता को 'अधिमान्य बोलीदाता' घोषित किया जाएगा। परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ या तो अधिमान्य बोलीदाता के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकार करने का चुनाव कर सकता है या उसे बातचीत के लिए आमंत्रित कर सकता है। बातचीत के साथ या बिना अधिमान्य बोलीदाता के मूल्य की स्वीकृति पर, परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ अधिमान्य बोलीदाता को 'सफल बोलीदाता' घोषित कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) 26.5.2011 को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया था और दिनांक 11.4.2011 की निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)/प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) में कुछ सुधार किए गए थे। उपरोक्त शुद्धिपत्र द्वारा अर्हता मानदंडों के खंड संख्या 10, 11 और 16 को "अनिवार्य नहीं" घोषित किया गया और निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि, जो दिनांक 18.5.2011 थी, को बढ़ाकर 6 जून, 2011 कर दिया गया।

(5) याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्र. 4 एवं 5 ने उपरोक्त निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)/प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) के उत्तर में अपनी बोलियाँ प्रस्तुत कीं। उपरोक्त निविदाकारों की तकनीकी बोलियाँ दिनांक 14.7.2011 को खोली गईं। उपरोक्त तीनों निविदाकार अगले दौर अर्थात तकनीकी मूल्यांकन और प्रस्तुति के लिए पात्र पाए गए। बाद में तीनों निविदाकारों की तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन किया गया और

उन्हें मूल्यांकन अंकन प्रणाली (पूर्वोक्त) के खंड 2.1.5 में निहित 6 शीर्षों के तहत अंक आवंटित किए गए और याचिकाकर्ता तथा उत्तरवादी क्रमांक 4 की वित्तीय बोलियाँ दिनांक 26.8.2011 को खोली गईं। याचिकाकर्ता एल-1 था क्योंकि उसने उत्तरवादी क्रमांक 4 की तुलना में कम दर की पेशकश की थी। याचिकाकर्ता ने 42.25 रुपये की दर और उत्तरवादी क्रमांक 4 ने 70.29 रुपये की दर की पेशकश की थी। चूँकि, नियोक्ता के अनुसार, उत्तरवादी क्रमांक 4 अधिमान्य बोलीदाता था, उन्होंने उत्तरवादी क्रमांक 4 को बातचीत के लिए बुलाया, जो एल-1 दर पर कार्य करने के लिए सहमत हो गया। इसलिए, उत्तरवादी क्रमांक 4 के पक्ष में दिनांक 7.12.2011 को एक स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता अधिमान्य बोलीदाता था; यदि अर्हता मानदंड संख्या 10 और 11 को अनिवार्य नहीं घोषित किया गया था, तो मूल्यांकन अंकन प्रणाली में इन मानदंडों के तहत कोई अंक नहीं रखे जाने चाहिए थे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उपरोक्त मानदंड 10 और 11 के अनुरूप खंड 3 और 4 के तहत याचिकाकर्ता को अंकों का आवंटन भी गलत था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मूल्यांकन अंकन प्रणाली केवल तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त करने के उद्देश्य से थी और एक बार जब याचिकाकर्ता ने 60 अंक प्राप्त करके तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त कर ली थी और वित्तीय बोली में एल-

1 था, तो स्वीकृति पत्र (एलओए) याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी किया जाना चाहिए था। उनके अनुसार, पूरी प्रक्रिया अस्पष्ट थी और कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण और मनमानी थी।

(7) राज्य/उत्तरवादी क्र. 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री किशोर भादुड़ी ने इन तर्कों का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता अधिमान्य बोलीदाता नहीं था; अर्हता मानदंड संख्या 10 और 11 जिन्हें अनिवार्य नहीं घोषित किया गया था, वे केवल पूर्व-अर्हता बोली मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त करने के संबंध में थे; इसलिए उपरोक्त मानदंडों के विरुद्ध अंकों का आवंटन अनुचित नहीं था; राज्य ने निविदा शर्तों का कड़ाई से पालन करते हुए सर्वश्रेष्ठ बोलीदाता को चुना है; याचिकाकर्ता द्वारा अंकन प्रणाली को कभी चुनौती नहीं दी गई थी; और याचिकाकर्ता ने सब कुछ जानते हुए निविदा प्रक्रिया में भाग लिया। असफल होने के बाद, उसे निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) की अनिवार्य शर्तों को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) उत्तरवादी क्रमांक 4 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विवेक तन्खा और विद्वान अधिवक्ता श्री डी.के. सिंह ने राज्य के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का समर्थन किया। उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का संदर्भ देते हुए, उन्होंने ऐसे प्रकरणों में न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे के बारे में पुरजोर तर्क दिए।

(9) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और रिट याचिका के अभिलेख का भी परिशीलन किया है।

(10) अर्हता मानदंड संख्या 10 और 11 पूर्व-अर्हता बोली मूल्यांकन से संबंधित हैं। "अर्हता मानदंड" के एक अलग शीर्षक के तहत कुल 16 मानदंड परिभाषित किए गए हैं। संपूर्ण निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के अवलोकन से पता चलता है कि इन मानदंडों को बोलीदाताओं द्वारा पूरा किया जाना अनिवार्य था और उपरोक्त 16 मानदंडों को पूरा करने वाले बोलीदाता निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र थे। 16 अर्हता मानदंडों में से, दिनांक 26.5.2011 के शुद्धिपत्र द्वारा उपरोक्त 3 मानदंडों यानी 10, 11 और 16 को "अनिवार्य नहीं" घोषित किया गया था। उपरोक्त 3 मानदंडों को अनिवार्य नहीं घोषित करने का प्रभाव यह होगा कि भले ही कोई बोलीदाता उपरोक्त 3 मानदंडों को पूरा न करता हो, उसे बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। इससे पता चलता है कि इन मानदंडों को अनिवार्य नहीं घोषित करने का उद्देश्य केवल निविदा प्रक्रिया में अधिकतम बोलीदाताओं को भाग लेने की अनुमति देना था और कुछ नहीं। निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) की विषय-वस्तु के अनुसार, अंकन मूल्यांकन प्रणाली पूरी तरह से स्वतंत्र थी। इसलिए अंकन मूल्यांकन प्रणाली और अर्हता मानदंडों को आपस में सह-संबंधित नहीं किया जा सकता जैसा कि श्री श्रीवास्तव द्वारा तर्क दिया गया है। जैसा कि निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) में निहित है, अर्हता मानदंड केवल पूर्व-अर्हता बोली मूल्यांकन के उद्देश्य से थे। वाणिज्यिक कानून के क्षेत्र में निविदाएँ बुलाना व्यापार के लिए एक प्रतियोगिता है। इसलिए, यदि अधिक बोलीदाताओं को अवसर देने की दृष्टि से पूर्व-अर्हता मानदंडों में छूट दी गई थी, तो यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ बोलीदाता के चयन के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के विचार से था। हमारा विचार है कि उपरोक्त छूट पूर्व-अर्हता बोली मूल्यांकन के उद्देश्य तक ही सीमित थी और कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि यदि मानदंड संख्या 10 और 11 को पूर्व-अर्हता बोली मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए "अनिवार्य नहीं" घोषित किया गया था, तो मूल्यांकन अंकन प्रणाली में इन मानदंडों के तहत कोई अंक नहीं रखे जाने चाहिए थे।

(11) <u>रिलायंस एनर्जी लिमिटेड और अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्प लिमिटेड और अन्य, (2007) 8 एससीC 1</u> के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि "जब निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं, तो नियमों और शर्तों को विधिक निश्चितता, मानदंडों और मानकों के साथ सूचित किया जाना चाहिए। 'विधिक निश्चितता' कानून के शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि उक्त मानदंडों में अस्पष्टता या व्यक्तिपरकता है तो इसके परिणामस्वरूप असमान और भेदभावपूर्ण व्यवहार हो सकता है। यह 'लेवल प्लेइंग फील्ड' के सिद्धांत का उल्लंघन कर सकता है जो संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (छ) की व्याख्या करते समय एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। उक्त प्रकरण में, राज्य ने निविदा शर्तों में विनिर्दिष्ट मानदंडों में से एक, अर्थात कुछ वर्षों की अवधि हेतु "शुद्ध नकद लाभ" की गणना के लिए लेखांकन मानदंडों को स्पष्टता के साथ विनिर्दिष्ट नहीं किया था , जिसके कारण इस विषय पर भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हुई कि क्या याचिकाकर्ता ने विचाराधीन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मानदंड को पूरा किया था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उन्हें बोली प्रक्रिया से अनर्ह घोषित कर दिया गया।"

(12) वर्तमान प्रकरण में, यद्यपि उपरोक्त मानदंड संख्या 10, 11 और 16 को शुद्धिपत्र द्वारा अनिवार्य नहीं घोषित किया गया था, लेकिन मूल्यांकन अंकन प्रणाली के खंड 3 और 4 को कभी हटाया नहीं गया था। ये खंड स्पष्ट और असंदिग्ध हैं। अंकों के आवंटन के लिए इन खंडों के तहत जो आवश्यक है, वे विधिक निश्चितता के साथ उल्लिखित हैं। यहाँ तक कि इन खंडों के तहत अंकों के आवंटन का तरीका भी स्पष्ट और असंदिग्ध है और इसमें कोई अस्पष्टता या व्यक्तिपरकता नहीं है। याचिकाकर्ता ने मूल्यांकन अंकन प्रणाली के खंड 3 और 4 (प्रासंगिक खंड) की वैधता को चुनौती नहीं दी है। याचिकाकर्ता ने इन खंडों के अस्तित्व के बारे में पूरी तरह से जानते हुए निविदा प्रक्रिया में भाग लिया और असफल होने के बाद याचिकाकर्ता उपरोक्त खंडों के अस्तित्व से संबंधित प्रश्न उठा रहा है जिसे इस स्तर पर अनुमति नहीं दी जा सकती। हमारा विचार है कि निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) की विषय-वस्तु को समग्र रूप से पढ़ा जाएगा और मूल्यांकन अंकन प्रणाली के खंडों, जिनमें खंड 3 और 4 शामिल हैं, को नियोक्ता द्वारा बोलियों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित मानदंड माना जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) यह तर्क दिया गया कि खंड 3 और 4 के तहत याचिकाकर्ता को अंकों/पॉइंट्स का आवंटन गलत था। तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन दिनांक 10.8.2011 को मूल्यांकन समिति द्वारा किया गया था। राज्य के जवाब-दावा के अनुसार, मूल्यांकन समिति में 4

सदस्य शामिल थे—अपर परिवहन आयुक्त, संयुक्त परिवहन आयुक्त, उप संचालक वित्त और वैज्ञानिक डी, एनआईसी। उक्त विशेषज्ञ समिति ने 3 प्रतिस्पर्धियों की तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन किया और उन्हें निम्नलिखित तरीके से अंक प्रदान किए:

मानदंड	**अधिकतम अंक**	**प्राप्त अंक:**		
		मेसर्स इफेक्टिव एंटरप्राइजेज	**मेसर्स विर्गो सोफ्टेक लिमिटेड**	**मेसर्स स्मार्ट चिप**
भारत में परिवहन विभाग के लिए डिजिटल प्रणाली में पुराने मैनुअल डेटा की लीगेसी डेटा प्रविष्टि (प्रत्येक परियोजना के लिए न्यूनतम 10 लाख प्रविष्टि)। • 1 राज्य में डेटा प्रविष्टि हेतु 10 अंक, • 1 से अधिक राज्यों में 20 अंक	20	0	10	20
एनआईसी आधारित	10	5	10	10

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"वाहन/सारथी" के साथ स्मार्ट कार्ड वैयक्तिकरण अनुप्रयोग के कार्यान्वयन का पूर्व अनुभव। • 1 राज्य में कार्यान्वयन हेतु 5 अंक, • 1 से अधिक राज्यों में कार्यान्वयन हेतु 10 अंक				
भारत में परिवहन विभाग में केंद्रीकृत वेब आधारित अनुप्रयोग के कार्यान्वयन और प्रबंधन का पूर्व अनुभव। • 1 राज्य में कार्यान्वयन हेतु 10 अंक, • 1 से अधिक राज्यों में 20 अंक	20	0	10	20
भारत में परिवहन विभाग में डेटा केंद्र स्थापित करने और प्रबंधित करने का पूर्व	20	0	0	20

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुभव। • 1 राज्य हेतु 10 अंक, • 1 से अधिक राज्यों हेतु 20 अंक				
पिछले 3 वित्तीय वर्षों में टर्नओवर। • 20 से 50 करोड़ हेतु 5 अंक, • 50 करोड़ से अधिक हेतु 10 अंक	10	10	10	10
प्रस्तावित अनुप्रयोगों के प्रदर्शन सहित तकनीकी प्रस्तुति	20	15	20	20
कुल	**100**	**30**	**60**	**100**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चुनौती मुख्य रूप से खंड 3 और 4 के तहत याचिकाकर्ता को अंकों के आवंटन को लेकर है। यदि इन खंडों के तहत आवंटित अंक सही पाए जाते हैं, तो भले ही याचिकाकर्ता को खंड 1 में पूरे अंक मिल जाएँ, जैसा कि दावा किया गया है, उससे कोई

फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम सबसे पहले खंड 3 और 4 में आवंटित अंकों का परीक्षण करेंगे। इन खंडों में याचिकाकर्ता को 10 और 0 अंक मिले, जबकि उत्तरवादी क्रमांक 4 को प्रत्येक खंड में 20 अंक मिले। मूल्यांकन समिति ने पाया कि भारत में किसी भी परिवहन विभाग के लिए वेब आधारित अनुप्रयोग विकास और रखरखाव (खंड 3) के संबंध में, याचिकाकर्ता ने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। आईडीबीआई द्वारा जारी प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की गई थी जिसमें कथन किया गया था कि मेसर्स वेंचर इन्फोटेक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने अपने ग्राहकों के लिए वेब आधारित समाधान प्रदान किए हैं। हिमाचल सड़क परिवहन निगम, शिमला के प्रबंध निदेशक के कार्य आदेश से संकेत मिलता है कि मेसर्स विर्गो सोफ्टेक लिमिटेड को विभाग के लिए वेब आधारित अनुप्रयोग सहित परियोजना निष्पादन का कार्य सौंपा गया था। इसलिए मूल्यांकन समिति ने अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता ने एक राज्य में वेब आधारित विकास किया है और इस खंड के तहत याचिकाकर्ता को 20 में से 10 अंक प्रदान किए गए। खंड 4 अर्थात भारत में परिवहन विभाग में डेटा केंद्र स्थापित करने और प्रबंधित करने के बारे में, मूल्यांकन समिति ने पाया कि यह स्थापित करने वाला कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि याचिकाकर्ता ने डेटा केंद्र स्थापित करने और प्रबंधित करने की कोई परियोजना की है। इसलिए, याचिकाकर्ता को खंड 4 के तहत 0 अंक प्रदान किए गए। इसके विपरीत उत्तरवादी क्रमांक 4 ने प्रत्येक खंड के तहत अंकों के आवंटन के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"1. उप परिवहन आयुक्त, म.प्र. और अपर आयुक्त, उड़ीसा के प्रमाण पत्र संलग्न किए गए हैं जो परिवहन विभाग के लिए 10 लाख से अधिक लीगेसी डेटा के रिकॉर्ड की प्रविष्टि की पुष्टि करते हैं।

2. उपरोक्त प्रमाण पत्र दिखाते हैं कि कंपनी ने म.प्र. में एनआईसी आधारित सारथी और उड़ीसा में वाहन/सारथी के साथ स्मार्ट कार्ड वैयक्तिकरण अनुप्रयोग की परियोजना निष्पादित की है।

3. उप परिवहन आयुक्त म.प्र. और अपर परिवहन आयुक्त उड़ीसा के प्रमाण पत्र पुष्टि करते हैं कि कंपनी परिवहन विभाग में वेब आधारित अनुप्रयोगों सहित परियोजना का संचालन कर रही है।

4. उप परिवहन आयुक्त म.प्र. और अपर परिवहन आयुक्त उड़ीसा के प्रमाण पत्र यह भी दर्शाते हैं कि कंपनी ने परिवहन विभाग के लिए डेटा केंद्र सेटअप और रखरखाव किया है।

5. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 50 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर के संबंध में ऑडिटर का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मूल्यांकन समिति ने उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा दायर उपरोक्त दस्तावेजों पर विचार करने के बाद उत्तरवादी क्रमांक 4 को 20:20 अंक प्रदान किए और जैसा कि मूल्यांकन चार्ट में दिखाया गया है, याचिकाकर्ता को कुल 60 अंक/पॉइंट्स मिले और उत्तरवादी क्रमांक 4 को 100 अंक/पॉइंट्स मिले। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 4 को दिए गए अंकों में कोई प्रतिकूलता नहीं दिखा सके। उन्होंने ब्यूरो वेरिटास सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी दिनांक 22 अक्टूबर, 2010 के एक प्रमाण पत्र को दिखाकर प्रदर्शित करने का प्रयास किया, जो यह प्रमाणित करता है कि मेसर्स वेंचर इन्फोटेक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, 701, भवन 11, इंटरफ़ेस, मलाड(पश्चिम) मुंबई-400064, महाराष्ट्र का प्रबंधन तंत्र का ऑडिट किया गया है और या प्रमाण पत्र में विस्तृत मानक की आवश्यकताओं के अनुसार पाया गया है। हम यह समझने में

असमर्थ हैं कि यह प्रमाण पत्र याचिकाकर्ता की किस प्रकार सहायता करता है। स्वीकार्य रूप से प्रमाण पत्र भारत के किसी भी राज्य के परिवहन विभाग के किसी प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया था। यह वेंचर इन्फोटेक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है। इसलिए, यह खंड 4 की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है और मूल्यांकन समिति ने याचिकाकर्ता को खंड 4 के तहत सही रूप से 0 अंक प्रदान किए हैं क्योंकि याचिकाकर्ता भारत में परिवहन विभाग में डेटा केंद्र स्थापित करने और प्रबंधित करने में अपने पूर्व अनुभव को स्थापित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका।

(14) एयर इंडिया लिमिटेड विरुद्ध कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और अन्य, **एआईआर 2000 एससी 801** के प्रकरण में, **रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड विरुद्ध आई.वी.आर. कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और अन्य**, **एआईआर 1999 एससी 393** सहित कई पिछले निर्णयों का संदर्भ देते हुए, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुबंध का आवंटन, चाहे वह किसी निजी पक्ष द्वारा हो या किसी लोक निकाय या राज्य द्वारा, अनिवार्य रूप से एक वाणिज्यिक लेनदेन है। एक वाणिज्यिक निर्णय पर पहुँचने में जो विचार सर्वोपरि होते हैं वे वाणिज्यिक विचार होते हैं। राज्य निर्णय पर पहुँचने के लिए अपनी पद्धति चुन सकता है। वह निविदा आमंत्रण की अपनी शर्तें निर्धारित कर सकता है और वह न्यायिक समीक्षा के लिए खुला नहीं है। वह किसी एक प्रस्ताव को स्वीकार करने का अंतिम निर्णय लेने से पहले बातचीत कर सकता है। अनुबंध आवंटित करने के लिए मूल्य हमेशा एकमात्र मानदंड नहीं होना चाहिए। यदि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निविदा शर्तें ऐसी छूट की अनुमति देती हैं तो वह सद्भाविक कारणों से कोई भी छूट देने के लिए स्वतंत्र है। वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं भी कर सकता है भले ही वह उच्चतम या निम्नतम हो। लेकिन राज्य, उसके निगम, संस्थान और एजेंसियाँ उनके द्वारा निर्धारित मानदंडों, मानकों और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए बाध्य हैं और मनमाने ढंग से उनसे विचलित नहीं हो सकते। यद्यपि वह निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन नहीं है, न्यायालय निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच कर सकता है और हस्तक्षेप कर सकता है यदि वह दुर्भावना, अतार्किकता और मनमानेपन से दूषित पाया जाता है। राज्य, उसके निगमों, संस्थानों और एजेंसियों का यह लोक कर्तव्य है कि वे सभी संबंधितों के प्रति निष्पक्ष रहें। यहाँ तक कि जब निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई दोष पाया जाता है तब भी न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग अत्यधिक सावधानी के साथ करना चाहिए और इसका प्रयोग केवल जनहित को अग्रसर करने के लिए करना चाहिए न कि केवल विधिक बिंदु बनाने पर। न्यायालय को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है या नहीं, यह विनिश्चय करने के लिए हमेशा व्यापक जनहित को ध्यान में रखना चाहिए। जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अत्यधिक जनहित में हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तभी न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) इस न्यायालय ने **डेल्टा कंस्ट्रक्शन सिस्टम्स लिमिटेड विरुद्ध साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं अन्य (रिट याचिका (सिविल) 3098/2008)** के प्रकरण में

भी यह अभिनिर्धारित किया था कि जब प्रकरण तकनीकी हो और इसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता हो और विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुबंध की शर्तों के मानदंडों के भीतर सर्वश्रेष्ठ बोलीदाता चुनने की दृष्टि से निर्णय लिया गया हो, तो न्यायालय विशेषज्ञ न होने के नाते एक अलग दृष्टिकोण नहीं अपना सकता। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत ऐसे प्रकरणों में हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित है। शासन या उसके संस्थान इस तरह का चयन करते समय यह देखने के लिए स्वतंत्र हैं कि दी गई सेवाएँ अपेक्षित विशिष्टताओं की हों और सेवा देने वाला व्यक्ति विनिर्देशों के अनुसार सेवाएँ प्रदान करने की क्षमता रखता हो। और, यदि निर्णय दुर्भावना, मनमानेपन, बाहरी विचार या अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के उल्लंघन, प्रक्रियात्मक अनुचितता के कारण दूषित नहीं है या अपनाई गई नीति का उस उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है जिसे वह प्राप्त करना चाहती है, तो उसे जारी रहने दिया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) वर्तमान प्रकरण में, विशेषज्ञ समिति ने निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) में तय मानदंडों पर अंक आवंटित किए हैं। उन्होंने अंक आवंटित करते समय मानदंडों का कड़ाई से पालन किया है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जा सका कि अंकों का आवंटन तथ्यात्मक पहलू पर अनुचित, अतार्किक या न्यायोचित नहीं था। इसलिए, उपरोक्त खंडों, विशेष रूप से खंड 3 और 4 के तहत आवंटित अंकों के प्रति याचिकाकर्ता की चुनौती को कायम नहीं रखा जा सकता।

(17) श्री श्रीवास्तव ने आगे तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता अधिमान्य बोलीदाता था। यह तथ्यात्मक रूप से सही प्रतीत नहीं होता है। खंड 2.2.1.3 में उल्लेख किया गया है कि अधिकतम अंतिम अंक (एफ) प्राप्त करने वाले बोलीदाता को अधिमान्य बोलीदाता घोषित किया जाएगा। वर्तमान प्रकरण में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, याचिकाकर्ता ने 60 अंक/पॉइंट्स प्राप्त किए और उत्तरवादी क्रमांक 4 ने 100 अंक/पॉइंट्स प्राप्त किए, इसलिए, उत्तरवादी क्रमांक 4 अधिमान्य बोलीदाता था और याचिकाकर्ता अधिमान्य बोलीदाता नहीं था। हमने दोनों पक्षों को हुए अंकों के आवंटन को पहले ही सही और उचित अभिनिर्धारित किया है। इसलिए, याचिकाकर्ता का यह दावा कि वह अधिमान्य बोलीदाता था, उपरोक्त निष्कर्ष के प्रकाश में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(18) यह भी तर्क दिया गया था कि उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा उद्धृत दर याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत दर से बहुत अधिक थी और जब याचिकाकर्ता ने न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करके तकनीकी मूल्यांकन उत्तीर्ण कर लिया था, तो दोनों पक्षों की दरों की तुलना करने पर स्वीकृति पत्र (एलओए) याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी किया गया होता।

(19) तर्क प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है, लेकिन गहरे अध्ययन पर यह विफल हो जाता है। प्रस्ताव मूल्यांकन से संबंधित पद्धति, जैसा कि कंडिका-3 (पूर्वोक्त) में निहित है, दिखाती है कि इसे मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। तकनीकी प्रस्ताव से संबंधित भाग 1 को 70% भारांक दिया गया है और वित्तीय प्रस्ताव से संबंधित भाग 2 को 30% भारांक दिया गया है। इस तरह के भारांक देने की उपरोक्त

पद्धति "गुणवत्ता-सह-लागत आधारित चयन" की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें गुणवत्ता वाले भाग यानी तकनीकी प्रस्ताव से संबंधित भाग को वित्तीय भाग से अधिक भारांक दिया गया है। ऐसे चयन में, चरण-वार उत्तीर्ण होने की प्रणाली लागू नहीं की जा सकती। यह दावा नहीं किया जा सकता कि यदि किसी बोलीदाता ने तकनीकी अर्हता में 60 अंक/पॉइंट्स (न्यूनतम उत्तीर्ण या अर्हक अंक/पॉइंट्स) प्राप्त कर लिए हैं, तो उसके चयन पर आगे विचार करते समय केवल उसकी वित्तीय बोली पर विचार किया जाएगा और तकनीकी बोली में प्राप्त अंकों/पॉइंट्स को ध्यान में नहीं लिया जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन में उत्तीर्ण होना केवल बोलीदाता को अगले दौर में आगे की भागीदारी के लिए पात्र बनाएगा, लेकिन निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) की योजना के अनुसार बोलीदाता की समग्र अर्हता पर विचार किया जाएगा और चयन किया जाएगा। उपरोक्त परिस्थितियों में, यदि 2 या अधिक बोलीदाता तकनीकी मूल्यांकन में समान अंक प्राप्त करते हैं, तो निश्चित रूप से एल-1 की मूल्य बोली को स्वीकार करना होगा। प्रस्ताव मूल्यांकन खंड में चरण □, □□ और □□□ (कंडिका-3 पूर्वोक्त) के रूप में निहित उपरोक्त प्रावधानों के पीछे का विचार सर्वश्रेष्ठ बोलीदाता का चयन करना है जो अच्छे गुणों/अनिवार्य रूप से आवश्यक गुणों वाला हो और जिसकी कीमत भी नियोक्ता के लिए उपयुक्त हो, परंतु किसी भी कीमत पर उपरोक्त अनुपात में तकनीकी गुणों को अधिक भारांक दिया जाना था। नियोक्ता द्वारा अपनाई गई उपरोक्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नीति का उस उद्देश्य के साथ संबंध है जिसे वह प्राप्त करना चाहती है, और ऐसे चयन में कोई भी केवल एल-1 होने पर अनुबंध के आवंटन का दावा नहीं कर सकता है।

(20) रौनक इंटरनेशनल (पूर्वोक्त) में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि यह याद रखना भी आवश्यक है कि मूल्य हमेशा अनुबंध आवंटित करने के लिए एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है। अक्सर जब प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों की एक मूल्यांकन समिति नियुक्त की जाती है, तो विशेषज्ञ समिति का विशेष ज्ञान यह तय करने में निर्णायक भूमिका निभाता है कि कौन सा प्रस्ताव सबसे अच्छा है। प्रस्तावित मूल्य केवल मानदंडों में से एक है। निविदाकारों का पूर्व पृष्ठभूमि, दी जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, निविदाकार के पिछले प्रदर्शन के आधार पर ऐसी गुणवत्ता का आकलन करना, उसकी बाजार प्रतिष्ठा आदि, सभी यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि अनुबंध किसे दिया जाना चाहिए। कई बार, कार्य की बहुत बेहतर गुणवत्ता के लिए उच्च मूल्य का भुगतान अनुबंध के उचित निष्पादन और कार्य की अच्छी गुणवत्ता सुरक्षित करने के लिए विधिक रूप से किया जा सकता है —जो कम कीमत की तरह ही जनहित में है। न्यायालय को विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(21) वर्तमान प्रकरण में जब याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक 4 दोनों विशेषज्ञ समिति द्वारा उनके तकनीकी मूल्यांकन में मानदंडों के अनुसार 70% के भारांक के तहत 60 और 100 अंक प्राप्त करके अगले दौर के लिए पात्र हो गए, तो नियोक्ता ने

याचिकाकर्ता की दर का संदर्भ देते हुए उत्तरवादी क्रमांक 4 के साथ बातचीत करना बेहतर समझा। उत्तरवादी क्रमांक 4, याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत दर पर कार्य करने के लिए सहमत हो गया। नियोक्ता ने, इसलिए, निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के निबंधनों के अनुसार उत्तरवादी क्रमांक 4 को सफल बोलीदाता घोषित किया और उत्तरवादी क्रमांक 4 के पक्ष में स्वीकृति पत्र (एलओए) दिनांक 7.12.2011 जारी किया। अधिमान्य बोलीदाता के साथ बातचीत और सफल बोलीदाता का चयन उपरोक्त रीती से निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) में निर्धारित प्रक्रिया में प्रदान किया गया है। प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, हमें प्रक्रियात्मक पहलू में भी कोई गलती नहीं मिली। हमारा विचार है कि उत्तरवादी क्रमांक 4 को निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) में निर्धारित उचित प्रक्रिया अपनाने के बाद चुना गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(22) **<u>जगदीश मंडल विरुद्ध उड़ीसा राज्य और अन्य, (2007) 14 एससीसी 517</u>** के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि "प्रशासनिक कार्यवाही का न्यायिक पुनर्विलोकन मनमानेपन, अतार्किकता, अनुचितता, पूर्वाग्रह और दुर्भावना को रोकने के लिए है। इसका उद्देश्य यह जांचना है कि चयन या निर्णय 'विधिक रूप से' लिया गया है या नहीं, न कि यह जांचना कि चयन या निर्णय 'सही' है या नहीं। जब निविदाओं या अनुबंधों के आवंटन से संबंधित प्रकरणों में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का उपयोग किया जाता है, तो कुछ विशेष विशेषताओं को ध्यान में रखा जाना

चाहिए। एक अनुबंध एक वाणिज्यिक संव्यवहार है। निविदाओं का मूल्यांकन करना और अनुबंध आवंटित करना अनिवार्य रूप से वाणिज्यिक कार्य हैं। साम्य और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एक दूसरे से दूरी पर रहते हैं। यदि अनुबंध के आवंटन से संबंधित निर्णय सद्भाविक और जनहित में है, तो न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, भले ही प्रक्रियात्मक विचलन या मूल्यांकन में त्रुटि या किसी निविदाकार के प्रति पूर्वाग्रह दिखाया गया हो। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का उपयोग जनहित की कीमत पर निजी हित की रक्षा करने या संविदात्मक विवादों का विनिश्चय करने के लिए करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्षुब्ध निविदाकार या ठेकेदार हमेशा सिविल न्यायालय में क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। काल्पनिक शिकायतों, आहत गौरव और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता वाले असफल निविदाकारों द्वारा कुछ तकनीकी/प्रक्रियात्मक उल्लंघन या स्वयं के प्रति कुछ पूर्वाग्रह के राई के पहाड़ बनाने और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करके हस्तक्षेप करने के लिए न्यायालयों को मनाने के प्रयासों का विरोध किया जाना चाहिए। इस तरह के हस्तक्षेप, चाहे वे अंतरिम हों या अंतिम, लोक कार्यों को वर्षों तक बाधित कर सकते हैं, या हजारों को अनुतोष और सहायता पाने में विलंब कर सकते हैं और परियोजना की लागत को कई गुना बढ़ा सकते हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(23) पूर्वगामी कारणों से, हम नियोक्ता द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इसलिए, रिट याचिका खारिज होने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

(24) वादव्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

सही/-
आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

====0000====

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by…….Ratna Sahu, Adv.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur